

वसूली

नगर निगम के टैक्स वसूली में हुई 25 प्रतिशत की वृद्धि

192 करोड़ के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर 240 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा



नवभारत, जबलपुर। संस्कारधानी के विकास और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर शहर की जनता ने अटूट विश्वास की मुहर लगा दी है। महापौर जगत बहादुर सिंह 'अनू', राजस्व प्रभारी डॉ.

सुभाष तिवारी एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के नेतृत्व में जबलपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व वसूली के सभी पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले वर्ष के 192 करोड़

रुपये के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए, इस बार नगर निगम की कुल आय 240 करोड़ रुपये के पार पहुँच गई है।

राजस्व में हुई यह 25 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि सीधे तौर पर

शहर में हुए चहुँमुखी विकास कार्यों का परिणाम मानी जा रही है।

निगम प्रशासन की पारदर्शिता और महापौर जगत बहादुर सिंह 'अनू' ने शहर के नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जबलपुर के देवतुल्य नागरिकों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नगर निगम पर भरोसा जताया। यह राशि शहर के विकास की गति को और तेज करेगी। यह जीत हर उस कर्मचारी की है जिसने दिन-रात फील्ड पर अताह मेहनत की है।

महापौर ने जताया आभार

इस शानदार सफलता पर महापौर जगत बहादुर सिंह 'अनू' ने शहर के नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जबलपुर के देवतुल्य नागरिकों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नगर निगम पर भरोसा जताया। यह राशि शहर के विकास की गति को और तेज करेगी। यह जीत हर उस कर्मचारी की है जिसने दिन-रात फील्ड पर अताह मेहनत की है।

बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया, जिससे अंतिम दिन की आय रात्रि 08:30 बजे तक लगभग 7 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जिसमें सम्पत्तिकर 5 करोड़ 70 लाख, जलकर 90 लाख 24 हजार एवं डोर टू डोर में 30 लाख 71 हजार रूपये निगम कोष में जमा हुए हैं।

टीम वर्क से मिली बड़ी सफलता

इस रिकॉर्ड तोड़ वसूली के पीछे महापौर के साथ-साथ राजस्व प्रभारी डॉ. सुभाष तिवारी और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार की कुशल रणनीति का बड़ा हाथ रहा। जल विभाग, बाजार विभाग, कॉलोनी सेल, भवन शाखा, स्वास्थ्य विभाग, कम्प्यूटर ऑपरेटरों और अन्य विभागों के अमले ने मिलकर एक टीम के रूप में कार्य किया।

गैस, बिजली और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का विरोध



नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जबलपुर द्वारा जिला कलेक्टर, जबलपुर को विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन विशेष रूप से रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों, बिजली दरों में हुई भारी वृद्धि तथा पेट्रोल-डीजल की कृत्रिम कमी और बढ़ती कीमतों के विरोध में सौंपा गया है। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में

आम जनता पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तथा मजदूर वर्ग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे कठिन समय में केंद्र एवं राज्य सरकार की गलत नीतियों और अव्यवस्थित निर्णयों ने जनता को परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है।

कांग्रेसियों ने दी चेतावनी

कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जबलपुर द्वारा व्यापक जनअंदोलन किया जाएगा और सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस परीक्षिकारी एवं कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लिया। ज्ञापन में विधाक लखन धंधारिया, अमरीश मिश्रा, कमलेश यादव, सोनू कुकरले, राजेश सोनकर, अयोध्या तिवारी, अतुल बाजपेई, मनीष चनसौरिया, सरबजीत सिंह रील, रितेश गुप्ता, आरिफ बैग, आदित्य मिश्रा, आशु वत्स, पवन कर्नौजिया, अभिषेक पाठक, रेखा जैन, प्रमोद पटेल, सिधांत जैन, रिंकू यादव, अभिलेख चंदेल, सतोष, अमरचंद्र बावरिया, अशरफ मंसूरी, संजु ठाकुर, गड्डू नदी, आलोक गुप्ता, अवधेश गुप्ता, निर्मल चंद जैन, मनोज नामदेव, जीपी पांडे, फिरोज ठाकुर, रज्जू सराफ, सचिन वाजपेई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।

प्राथमिक शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं

हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य से मांगा जवाब



जबलपुर। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि प्राथमिक शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों की याचिका पर कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर और डीईओ रीवा को नोटिस जारी किए हैं। रीवा निवासी पंकज पांडे सहित 28 शिक्षकों ने याचिका

दायर कर मप्र स्कूल शिक्षा सेवा (टीचिंग कैडर) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 को चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि इन नियमों और 27 जुलाई, 2019 को जारी कार्यपालक निर्देशों के कारण उनकी पुरानी सेवाओं को नहीं जोड़ा जा रहा है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता वर्ष 1998-99 से

स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। लंबे समय तक शिक्षा कर्मी एवं अध्यापक के रूप में सेवा दे चुके हैं। इसके बावजूद 2018 के नए नियम लागू कर उन्हें फ्रेश एंटी यानी नए कर्मचारी की तरह माना जा रहा है। इससे उनकी वरिष्ठता समाप्त हो गई है और उन्हें नई सेवा शर्तों के तहत शामिल कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से मांग की है कि 2018 के नियमों और 2019 के कार्यपालक निर्देशों को अस्वैधानिक घोषित किया जाए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत सभी लाभ तथा वरिष्ठता बहाल की जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक बड़ेरिया ने पैरवी की।

चित्रगुप्त प्रकटोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश की मांग

नवभारत, जबलपुर। कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव (23 अप्रैल) को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग उठी है। कायस्थ महासभा चित्रगुप्त महाराज सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारी महामंत्री सहेन्द्र श्रीवास्तव, अमिन्द्र नारायण श्रीवास्तव, पिपूय चर्मा (प्रांतीय उपाध्यक्ष), डॉ. विनोद श्रीवास्तव (प्रांतीय उपाध्यक्ष), चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, सतीष श्रीवास्तव, अखिलेश व्योहार, राजीव श्रीवास्तव एवं विवेक श्रीवास्तव ने शासन से अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है।

सड़क एक समस्या अनेक, छोटी छोटी सड़कों पर गलत दिशा से आते वाहन



जबलपुर, नवभारत। शहर की सड़कों पर रॉन्ग साइड से चलने वाले वाहन अब राहगीरों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। नगर के चौथा पुल, रसल चौक, करमचंद चौक मार्ग एवं सुपर मार्केट जैसे अन्य मार्गों पर रोजाना सैकड़ों वाहन गलत दिशा में दौड़ते

हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती। जानकारी के मुताबिक हर दिन लगभग 6 से 7 हादसे रॉन्ग साइड वाहन चलाने के कारण होते हैं। यही नहीं रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों से जाम की समस्या भी बनती है। बात करे अगर ग्वारीघाट के रेतनाका तिराह, तैयबबली से पॉलीटैबिनक

कॉलेज सृजन चौक से टैगोर पार्क, सदर सहित शहर के गोरखपुर बाजार की मुख्य सड़कों का हाल बेहाल है। मालूम हो कि नोदरा पुल चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े होने के बाद भी रॉन्ग साइड चलने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही। ट्रैफिक पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करने की जगह सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखती रहती है। जिससे रॉन्ग साइड चलने वालों के होसले और बुलंद हो जाते हैं। करमचंद चौक मार्ग पर रोजाना रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के कारण जाम लगा रहता

दूसरी समस्या अतिक्रमण

एक तो शहर की सड़कें पहले ही रॉन्ग साइड चलने वालों से परेशान है तो वही इन मार्गों में अपनी दुकान सजाए टेले गुमटी वालों ने आम में घी डालने का काम किया है। बता दें कि सड़क किनारे टेला लगाकर खड़े होने एवं आधे से ज्यादा सड़क घेर लेने से शहर में आए दिन जाम लगने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वही निगम की मोर्टिंग में हेमेशा यही निर्णय लिया जाता है कि शहर की सड़कों पर होने वाले कब्जे और टेला लगाकर खड़े होने वालों पर अब नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके टेला लगाने वालों के तरीके में कोई सुधार नहीं आया है।

एक नजर में



30 घन मीटर क्षमता के संयंत्र से एकलव्य विद्यालय में बनेगा भोजन

नवभारत, जबलपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गोवर्धन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत महवागं परियट, जलपद पंचायत पनागर में स्वीकृत बायोगैस प्लांट का स्थल निरीक्षण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोट द्वारा किया गया। प्रस्तावित 30 घन मीटर क्षमता के इस संयंत्र की लागत 22 लाख 67 हजार रुपये है। संयंत्र स्थल से लगभग 400 मीटर दूरी पर स्थित एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय में वर्तमान में भोजन पकाने के लिए हर माह करीब 60 गैस सिलेंडर खर्च होते हैं। बायोगैस प्लांट स्थापित होने के बाद इसी गैस से बच्चों का भोजन तैयार किया जाएगा, जिससे लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह की आय संयंत्र संचालन के लिए प्राप्त होगी। साथ ही स्वस्थ, खाद एवं गौकाष्ठ से अतिरिक्त आय भी होगी। निरीक्षण के दौरान अभिषेक गहलोट ने जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित उपयंत्र की आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए।

चर्च की जमीन पर अस्पताल निर्माण को लेकर विवाद, ठेकेदार को मिली धमकी

नवभारत, जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र में ईसाई समाज की भूमि पर अस्पताल निर्माण करा रहे एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी ने न केवल बीच सड़क पर ठेकेदार को रोका, बल्कि फोन पर भी कॉल कर काम बंद न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कर्टंगा निवासी 46 वर्षीय ठेकेदार रवि डेंगरा, जनसम मिडिल स्कूल गोरखपुर में मेथोडिस्ट चर्च इन ईडिया से विधिवत अनुमति लेकर ईसाई समाज की भूमि पर अस्पताल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बीती रात करीब 9 बजे जब वे काम खत्म कर अपनी गाड़ी से बिलहरी जा रहा था तभी कपूर क्रॉसिंग के पास ब्यौहारबाग निवासी अरुण मसीह (52) ने उनका रास्ता रोका। अरुण मसीह ने उनसे पूछा कि वे स्कूल परिसर में काम क्यों कर रहे हैं। जब रवि ने कहा कि उनके पास चर्च प्रबंधन की अनुमति है और कोई भी आपत्ति होने पर वे सीधे चर्च पदाधिकारियों से बात करें, तो आरोपी भड़क गया। अरुण मसीह ने बीच सड़क पर अभद्रता शुरू कर दी। इसी बीच जब ठेकेदार ने अपने साथी विकास बेन को आवाज लगाई, तो आरोपी यह धमकी देते हुए वहां से चला गया कि आज तो छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा वहां काम किया तो जान से खत्म कर दूंगा। ठेकेदार का आरोप है कि घर पहुँचने के बाद भी आरोपी अरुण मसीह ने उन्हें दो बार फोन किया और लगातार जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी चर्च के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी, जिनके परामर्श के बाद गोरखपुर थाने पहुँचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। रवि डेंगरा की रिपोर्ट पर आरोपी अरुण मसीह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

रेल पटरी पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ ने की कार्रवाई जबलपुर, नवभारत। मदन महल रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी पार करने के दौरान अचानक हुए हादसे के बाद मदन महल स्टेशन पर जाली लगा दी गई थी। इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेल पटरी पार कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट मदन महल के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने 7 लोगों को रेल पटरी पार करते हुए पकड़ा। आरपीएफ ने इन्हें पकड़कर समझाइश और हिदायत दी कि आगे से ये गलती न करें। कई लोग इसके बाद भी नहीं माने तो उनके खिलाफ अवैध रूप से ट्रेस पास करने पर धारा-147 रेलवे अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो की टक्कर से पलटाई-रिक्षा, 7 घायल

नवभारत, जबलपुर। कैंट थाना क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ई-रिक्षा को पीछे से चालक अमित के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। उसकी पत्नी रेखा के पैर और कमर में चोट लगी है, जबकि माँ और बच्चों को भी चोटें पहुँची हैं। मानवता दिखाते हुए शुरुआत में स्कॉर्पियो चालक ने ही घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुँचाया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के डर से वह घायलों को अस्पताल छोड़ते ही अपनी गाड़ी लेकर रफूचककर हो गया। पीड़ित अमित ठाकुर ने स्कॉर्पियो का नंबर नोट कर लिया था, जिसके आधार पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।



निशांत भोपाल से जनशताब्दी ट्रेन द्वारा वापस लौटे थे। अमित अपने घर पर परिवार को ई-रिक्षा में बैठाकर घरे ल जा रहा था। पेन्टीनाका के पास अमित ने एक सवारी, राजकुमार करियार निवासी अनुसार कार्रवाही की भी बैठा गया। रात करीब 12:15 बजे जैसे ही ई-रिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल के सामने पहुँचा, पीछे से आ रही एक अनियंत्रित काले रंग की स्कॉर्पियो एमपी 20 जेड के 2972 ने रिक्षा

को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्षा बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक अमित के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। उसकी पत्नी रेखा के पैर और कमर में चोट लगी है, जबकि माँ और बच्चों को भी चोटें पहुँची हैं। मानवता दिखाते हुए शुरुआत में स्कॉर्पियो चालक ने ही घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुँचाया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के डर से वह घायलों को अस्पताल छोड़ते ही अपनी गाड़ी लेकर रफूचककर हो गया। पीड़ित अमित ठाकुर ने स्कॉर्पियो का नंबर नोट कर लिया था, जिसके आधार पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

रोलर से मजदूर को मौत की नौद सुलाने वाला चालक गिरफ्तार

रिंग रोड निर्माण कार्य के दौरान हुआ था दर्दनाक हादसा



नवभारत, जबलपुर। खमारिया थाना अंतर्गत अमझर रिंग रोड निर्माण स्थल पर सोमवार को निर्माण कार्य में लगे मजदूर को रोलर से कुचल कर मौत की नौद सुलाने वाले छतरपुर के वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुभाष ऋषिदेव (32) निवासी ग्राम बरहरी, जिला पूर्णिया (बिहार) का अपने चचेरे भाई नीरज कुमार और अन्य 11 साथियों के साथ व्हीआरएस

कंपनी के माध्यम से रिंग रोड परियोजना में मजदूरी करने जबलपुर आया था। कल सुबह करीब 11 बजे वे दोनों सड़क पर छड़ गाइडर लेवल देने का काम कर रहे थे। रोशन पानी पीने के लिए थोड़ा रुक गया था, तभी ढलान पर खड़े रोलर क्रमांक एमपी 21 जेड सी 6746 के चालक ब्रजेश कुशवाहा ने लापरवाही बरतते हुए वाहन को

आगे बढ़ा दिया। सुभाष सड़क पर पत्थर लगा था और ढलान के कारण वह रोलर की चपेट में आ गया।

साइट पर मौजूद सर्वेयर अरुण जगत ने शोर मचाकर चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक रोलर सुभाष के सिर के ऊपर से गुजर चुका था। सिर पूरी तरह कुचल जाने के कारण सुभाष की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के भाई नीरज कुमार की शिकायत पर आरोपी चालक ब्रजेश कुशवाहा (22), निवासी छतरपुर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है।

20 लाख के सामान से नहीं भरा मन, 15 लाख कैश के लिए किया प्रताड़ित

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत सैनिक सोसायटी निवासी एक महिला को शादी के दूसरे दिन से ही दहेज लोभी ताना कर्मी करने लगे। 120 लाख की गृहस्थी से भी उनका मन नहीं भरा और वे 15 लाख रूपए और कैश के लिए उसे प्रताड़ित कर ने लगे। जिससे तंग आकर अब पीड़िता ने थाने में पति और सास-ससुर के खिलाफ प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक तत्काल होम्स, सैनिक सोसायटी की रहने वाली 33 वर्षीय दिव्या दीक्षित का विवाह 3 मई 2022 को शाहीनाका रोड निवासी अक्षय दीक्षित के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। शादी में दिव्या के माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगभग 20 लाख रुपये का कीमती सामान और उपहार दिए थे। लेकिन, शादी के अगले ही दिन से पति अक्षय, ससुर अशोक दीक्षित और सास सुष्मा दीक्षित ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ससुराल पक्ष दिव्या को लगातार कम दहेज लाने के ताने मारकर मानसिक रूप से तोड़ता रहा। हद तो तब हो गई जब दहेज लोभीयों ने स्पष्ट कह दिया कि यदि घर में रहना है, तो मायके से 15 लाख रुपये नकद लेकर आओ। मांग पूरी न होने पर दिव्या को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। दिव्या के परिजनों द्वारा कई बार समझाइश देने के बाद भी जब ससुराल वालों का दिल नहीं पसीजा, तब थक-हारकर पीड़िता ने थाने की शरण ली।

जिले में नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

नवभारत, जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले में नरवाई (पराती) जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि भूमि और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी यह सम्पूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नरवाई संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्यवाही होगी। आदेश में उल्लेख किया गया है कि

नरवाई एवं पैरा में आग लगाने के कारण गंभीर स्वरूप की अग्नि दुर्घटना होने से संपत्ति की हानि भी होती है। इसके अलावा खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन-धन, संपत्ति, प्राकृतिक, वनस्पति और जीव-जन्तु नष्ट होने से व्यापक नुकसान भी होता है। प्रतिबंधात्मक आदेश में बताया गया है कि गेहूँ की कटाई अधिकांशतः कम्बाइड हार्वेस्टर द्वारा की जाती है और कटाई के बाद फसल की नरवाई में आग लगा दी जाती है। जबकि, कटाई

हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ रीपर को रखना अनिवार्य

जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में गेहूँ फसल की कटाई में प्रयुक्त किये जा रहे कम्बाइड हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने के लिये स्ट्रॉ रीपर को रखना भी अनिवार्य किया है। आदेश में कहा गया है कि किसान गेहूँ की कटाई के बाद खड़ी नरवाई में सीधे हेमपी सीडर या सुपर सीडर से बोनी कर सकते हैं। इसके अलावा बेलर, स्लेसर एवं रैकर मशीन से नरवाई के बंडल बनवाकर इन बंडलों का फेकिट्रों में ईंधन (पैलेट), पैकेजिंग मटेरियल, पेपर उद्योग, बायो फर्टिलाइजर, कम्प्रेस बायो गैस बनाने में भी किया जा सकता है और अतिरिक्त कमाई की जा सकती है।

का उपयोग पशु आहार के साथ ही अन्य उद्योग में किया जा सकता है।

अभियान रांडी संभाग में चलाया गया बाजार किराया एवं डोर-टू-डोर शुल्क संग्रहण का अभियान

लक्ष्मी नारायण मार्केट से 2.5 लाख रुपये की वसूली

नवभारत, जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं निगम के राजस्व में वृद्धि हेतु स्वास्थ्य एवं बाजार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मंगलवार को रांडी संभाग में सघन वसूली अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत बाजार क्षेत्र की दुकानों के लंबित किराए एवं वार्ड में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसके अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मार्केट से 2.5 लाख रुपये की वसूली के साथ बड़ी संख्या में डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क भी की कटवाई गयी।



अभियान में अपर आयुक्त अंजू सिंह ठाकुर, प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा वार्ड

स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान वार्ड सुपरवाइजर प्रियंका यादव के

साथ क्षेत्रीय टीम, जिसमें श्रीनिवासलू, ऋषि यादव, रुपेश यादव एवं राजेश चौधरी निरंतर क्षेत्र में सक्रिय रहे।



आरपीएफ ने ऑटो चालकों और किन्नरों पर की कार्यवाही

जबलपुर, नवभारत। आरपीएफ के द्वारा मंगलवार को रेलवे के सकुलेटिंग एरिया 1 के बाहर रोड पर अवैध रूप से लगाए गए टेले के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिसमें नगर निगम के द्वारा उक्त अनाधिकृत टेले को परिसर से बाहर किया गया तथा 30 और 31 मार्च को आरपीएफ एवं वाणिज्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर संयुक्त रूप से अनाधिकृत बेंडरों, ऑटो वालों, किन्नरों एवं अनाधिकृत रूप से ट्रेस पास करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि कार्यवाही के दौरान स्टेशन वेडरों के कार्ड चैक किये गये जिसमें 06 बेंडरों के सही कार्ड नहीं पाये गये जिनके विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। वही 02 ऑटो चालकों तथा 04 किन्नरों के विरुद्ध भी रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।